

प्रेस विज्ञप्ति

जिला बिलासपुर का राजस्व निरीक्षक 01 लाख रू0 रिश्वत लेते गिरफ्तार

प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण, निवासी ग्राम तोरवा, जिला बिलासपुर ने एन्टी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर के कार्यालय में शिकायत की थी, कि ग्राम तोरवा, बिलासपुर में उसकी जो भूमि स्थित है, उसके सीमांकन कार्य हेतु उसने नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया था। इस कार्य हेतु उसने आरोपी संतोष कुमार देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर से सम्पर्क किया तो उसने सीमांकन हेतु 2.50 लाख रू0 रिश्वत की मांग की एवं 1 लाख रू0 की प्रथम किश्त लेकर आज दिनांक 17.05.2024 को बुलाया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सत्यापन पर उक्त शिकायत सही पाये जाने से ट्रेप आयोजित कर आरोपी संतोष कुमार देवांगन, राजस्व निरीक्षक, जूना बिलासपुर को तहसील परिसर बिलासपुर में प्रार्थी से 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

